2 11

संख्याः– 754/XVII-5/2014–09(14)/2008

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत मद प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सैनिक विश्राम गृह, ऊखीमठ के अवशेष निर्माण कार्य हेतु गठित पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4003/सै.क./सै.वि.गृ./ऊखीमठ, दिनांक 19.08.2014, शासनादेश संख्या–41/XVII(1)-3/2009–09(14)/2008, दिनांक 02.03.2009 एवं शासनादेश संख्या–318/XXVII (1) /2014, दिनांक 18.03.2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या–15, लेखाशीर्षक–4235 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) में से सैनिक विश्राम गृह, ऊखीमठ के अवशेष निर्माण कार्य हेतु गठित पुनरीक्षित आगणन की औचित्यपूर्ण लागत रू0 23.80 लाख (सिविल कार्यो हेतु रू0 23.12 लाख + उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किये जाने वाले कार्यो हेतु रू0 0.68 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 23.80 लाख (रू0 तेईस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

3– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जायेगी।

4– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

6– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– व्यय की भौतिक/वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10– प्रश्नगत निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय। कार्य समय से पूर्ण न किये जाने पर उक्त निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था की होगी।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 (आयोजनागत) के लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–0301– सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– उक्त स्वीकृत रू0 23.80 लाख (रू0 तेईस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0सं0–S1412150101 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या–4732 में कर दिया गया है।

13– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के अशा0 संख्या–626/XXVII(1)/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 354 (1) /XVII-3/14-09(14)/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
5. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रूद्रप्रयाग।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
उप सचिव।